



खर्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: ७

संख्या :

मिति: २०८०/०३/१०

भाग - १

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

खर्पुनाथ गाउँपालिकाका, हुम्ला

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति: २०८०/०३/१०

राजपत्रमा प्रकाशन मिति : २०८०/०३/१०

खार्पूनाथ गाँउपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना: खार्पूनाथ गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानिय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम खार्पूनाथ गाँउ सभाले यो ऐन बनाएको हो ।

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१)यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन २०८०” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०८० साल श्रावण १ गतेदेखि खार्पूनाथ गाँउपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२.सम्पति कर: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुची (१)बमोजिम एकिकृत सम्पति कर/घर जग्गा कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

३.भूमि कर (मालपोत): गाँउपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुची (२)बमोजिम भूमि कर (मालपोत) असुल उपर गरिने छ ।

४. घर वहाल कर: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन घर पसल ग्यारेज गोदाम टहरा छप्पर जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसुची (३)बमोजिम घर वहाल कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

५.व्यावसाय कर: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पूँजिगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसुची (४)बमोजिम व्यावसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

६.जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन खोटो जडिबुटी बनकस कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीव जन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जिवजन्तुको हाड सिङ प्वाँख छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोवार गरेवापत अनुसुची (५)बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

७.सवारी साधन कर: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसुची (६)बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

८.विज्ञापन कर: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसुची (७)बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

९.मनोरञ्जन कर: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यावसाय सेवामा अनुसुची (८)बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०.बहाल विटौरी शुल्क: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसुची (९)उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसुचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विरौटी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

११.पार्किङ शुल्क : गाँउपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसुची (१०)बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

१२ .ट्रेकिङ कोयोकिङ क्यानोइङ्ग बन्जी जम्पिङ जिप फ्लाएर र च्याफटिङ शुल्क: गाँउपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ कोयोकिङ क्यानोइङ्ग बन्जी जम्पिङ जिप फ्लाएर र च्याफटिङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरे वापत अनुसुची (११)बमोजिम शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

१३.सेवा शुल्क दस्तुर: गाँउपालिकाले निर्माण संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसुची (१२) मा उल्लिखित स्थानिय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसुचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

१४.पर्यटन शुल्क : गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका धार्मिक, भौगोलिक, प्राचिन, ऐतिहासिक र पार्क क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसुची (१३)बमोजिम पर्यटन कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१५.फोहरमैला तथा सरसफाई शुल्क: गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुसुची (१४)बमोजिम फोहरमैला तथा सरसफाई शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ । यसरी उठाउँदा ट्राभल एजेन्सीहरुबाट उठाइने शुल्क अन्य स्थानिय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्ने देखिएमा सहमती बमोजिम विभाजन गरी जम्मा गरिनेछ ।

१६. वातावरण शुल्क : गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निकासी उत्खनन र विक्री हुने ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल, काठ, दाउरा आदिमा अनुसुची (१५) बमोजिम वातावरण शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१७. पशु स्वास्थ्य र कृषि सेवा शुल्क : गाँउपालिकाले प्रदान गर्ने पशु स्वास्थ्य र कृषि सेवा सम्बन्धि सुविधाहरुमा अनुसुची (१६) बमोजिम पशु स्वास्थ्य र कृषि सेवा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१८. परिक्षा शुल्क : गाँउपालिकाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न परिक्षाहरुमा अनुसुची (१७) बमोजिम परिक्षा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१९. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।

२०. कर तथा शुल्क संकलन कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाँउपालिकाले तोके अनुसार हुने छ । संघिय र प्रादेशिक ऐन नियम र व्यवस्था अनुरूप उठाइने कर तथा शुल्कका दरहरु सोही बमोजिम उठाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

**नोट: राजस्व परामर्श समितिको बैठकबाट करका दायरा र दर सम्बन्धमा छलफल गरि निर्णय गर्न आवश्यक भई राता अंकमा राखीएको ।**

**अनुसूची (१)**  
**(दफा २ सँग सम्बन्धित)**  
**सम्पत्ति करको दर**

१. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर निम्न दर रेट अनुसार वार्षिक कर लिने

**सम्पत्ति करको दररेट तालिका :**

| सि.नं | करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य            | वार्षिक दर रु.      | थप कर            | जम्मा कर          |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| १     | ५ लाख सम्म                          | १००।-               | <del>१००</del>   | <del>१००</del>    |
| २     | ५ लाख देखी माथि १० लाख सम्म         | थप रु. २० प्रतिलाख  | <del>१००</del>   | <del>२००</del>    |
| ३     | १० लाख देखी माथि २० लाख सम्म        | थप रु. २५ प्रतिलाख  | <del>२५०</del>   | <del>४५०</del>    |
| ४     | २० लाख देखी माथि ३० लाख सम्म        | थप रु. ३० प्रतिलाख  | <del>३००</del>   | <del>७५०</del>    |
| ५     | ३० लाख देखी माथि ४० लाख सम्म        | थप रु. ४० प्रतिलाख  | <del>४००</del>   | <del>११५०</del>   |
| ६     | ४० लाख देखी माथि ५० लाख सम्म        | थप रु. ५० प्रतिलाख  | <del>५००</del>   | <del>१६५०</del>   |
| ८     | ५० लाख देखी माथि ६० लाख सम्म        | थप रु. ६० प्रतिलाख  | <del>६००</del>   | <del>२२५०</del>   |
| ९     | ६० लाख देखी माथि ७० लाख सम्म        | थप रु. ७० प्रतिलाख  | <del>७००</del>   | <del>२९५०</del>   |
| १०    | ७० लाख देखी माथि ८० लाख सम्म        | थप रु. ८० प्रतिलाख  | <del>८००</del>   | <del>३७५०</del>   |
| ११    | ८० लाख देखी माथि ९० लाख सम्म        | थप रु. ९० प्रतिलाख  | <del>९००</del>   | <del>४६५०</del>   |
| १२    | ९० लाख देखी माथि १ करोड सम्म        | थप रु. १०० प्रतिलाख | <del>१०००</del>  | <del>५६५०</del>   |
| १३    | १ करोड देखी माथि १ करोड ५० लाख सम्म | थप रु. १५० प्रतिलाख | <del>७५००</del>  | <del>१३१५०</del>  |
| १४    | १ करोड ५० लाख देखी माथि २ करोड सम्म | थप रु. २०० प्रतिलाख | <del>१००००</del> | <del>२३१५०</del>  |
| १५    | २ करोड देखी माथि ३ करोड सम्म        | थप रु. ३०० प्रतिलाख | <del>३००००</del> | <del>५३१५०</del>  |
| १६    | ३ करोड देखी माथि ५ करोड सम्म        | थप रु. ४०० प्रतिलाख | <del>६००००</del> | <del>१३३१५०</del> |
| १७    | ५ करोड माथी जतिसुकै भएपनि           | थप रु. ५०० प्रतिलाख |                  |                   |

**थप व्यवस्था:**

- सम्पत्तिकर र भूमिकर (मालपोत) लागु हुनु भन्दा अगाडी लगाईएका घरजग्गा कर, एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत अन्य खारेज भएका कर तथा शुल्कको बक्यौताको हकमा साविककै व्यवस्था अनुसार कर लाग्नेछ ।
- सम्पत्ति करकोलागि भवनको क्षेत्रफल कायम गर्दा स्वीकृत नक्शा र निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफलमा फरक भएमा निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफललाई आधार मानिनेछ । कर तिरेको प्रमाण अन्य कुनै प्रयोजनमा दावि लाग्ने छैन ।
- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, कुटनैतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघसंस्थाको सम्पत्तिमा यस ऐन बमोजिम कर लिइने छैन । तर लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघसंस्थाहरुलाई भूमिकर (मालपोत) भन्ने छुट हुने छैन ।
- प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्पत्ति कर छुट हुने व्यक्ति वा निकायको जग्गामा व्यावसायीक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरी उपयोग गरेको भए उक्त भवनको मूल्यांकनको आधारमा घरको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

अनुसूची (२)  
दफा २ सँग सम्बन्धित

घरको मूल्यांकन दर

| घरको बनौट                                                       | मूल्यांकन दर<br>प्रति बर्ग फूट रु |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| आर सि.सि. छाना भएको पिल्लर सहितको घर                            | १७१०                              |
| सिमेन्टको जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गा को वाल भएको आर सि.सि. छाना भएको | १५८०                              |
| सिमेन्टको जोडाई भएको ईटाको वाल भएको पत्थर वा टीनको छाना भएको    | १३५०                              |
| ढुङ्गा को वाल भएको पत्थर वा टिनको छाना भएको                     | १२००                              |
| ढुङ्गा को वाल भएको कच्ची छाना भएको वा टिनको कटेरो               | ७००                               |

अनुसूची (३)  
दफा २ सँग सम्बन्धित  
घरको ढसकट्टी दर

| क्र.सं | घरको बनौट                                                       | प्रति वर्ष ढस<br>कट्टी दर | ढसकट्टी गर्ने<br>जम्मा वर्ष |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| १      | आर सि.सि. छाना भएको पिल्लर सहितको घर                            | <del>०७७५ प्रतिशत</del>   | <del>१०० वर्ष</del>         |
| २      | सिमेन्टको जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गा को वाल भएको आर सि.सि. छाना भएको | <del>१ प्रतिशत</del>      | <del>७० वर्ष</del>          |
| ३      | सिमेन्टको जोडाई भएको ईटाको वाल भएको पत्थर वा टीनको छाना भएको    | <del>२ प्रतिशत</del>      | <del>३५ वर्ष</del>          |
| ४      | ढुङ्गा को वाल भएको पत्थर वा टिनको छाना भएको                     | <del>३ प्रतिशत</del>      | <del>२५ वर्ष</del>          |
| ५      | ढुङ्गा को वाल भएको कच्ची छाना भएको वा टिनको कटेरो               | <del>५ प्रतिशत</del>      | <del>१५ वर्ष</del>          |

अनुसूची (४)  
दफा २ सँग सम्बन्धित  
जग्गाको मूल्यांकन दर

क. खेत तर्फ :

| समूह | उपसमूह       | हालको वडा नै         | जग्गाको मूल्यांकन दर प्रति रोपनि रु |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| कृषि | खेत तर्फ:अवल | वडा नं ४ र ५ मा      | १२५०००                              |
| कृषि | दोयम         | वडा नं ४ र ५ मा      | ११५०००                              |
| कृषि | सिम          | वडा नं ४ र ५ मा      | १०९०००                              |
| कृषि | चाहार        | वडा नं १ देखि ३ सम्म | ७००००                               |
| कृषि | खेत तर्फ:अवल | वडा नं १,२,३         | १०००००                              |
| कृषि | दोयम         | वडा नं १,२,३         | ६००००                               |
| कृषि | सिम          | वडा नं ४             | ८८०००                               |
| कृषि | चाहार        | वडा नं ४             | ८६०००                               |

ख. पाखो तर्फ :

| समूह | उपसमूह        | हालको वडा नं. | जग्गाको मूल्यांकन दर प्रति रोपनि रु |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| पाखो | पाखो तर्फ:अवल |               | ११५०००                              |
| पाखो | दोयम          |               | १०९०००                              |
| पाखो | सिम           |               | १०७०००                              |
| पाखो | चाहार         |               | १०४०००                              |
| पाखो | पाखो तर्फ:अवल |               | ९२०००                               |
| पाखो | दोयम          |               | ९२०००                               |
| पाखो | सिम           |               | ८८०००                               |
| पाखो | चाहार         |               | ८००००                               |
| पाखो | पाखो तर्फ:अवल |               | २६००००                              |
| पाखो | दोयम          |               | २४८०००                              |
| पाखो | सिम           |               | २४००००                              |
| पाखो | चाहार         |               | २३४०००                              |
| पाखो | पाखो तर्फ:अवल |               | ११००००                              |
| पाखो | दोयम          |               | १०५०००                              |
| पाखो | सिम           |               | ९८०००                               |
| पाखो | चाहार         |               | ९३०००                               |

ग. व्यापारीक क्षेत्र तर्फ खार्पुनाथ गाउँपालिका :

| समूह              | वडा       | क्षेत्र | मूल्यांकन दर प्रति बर्ग मिटर रु |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|
| व्यापारीक क्षेत्र | वडा नं. ४ |         | ३००                             |
| व्यापारीक क्षेत्र | वडा नं. ५ |         | ३००                             |
| व्यापारीक क्षेत्र | वडा नं. १ |         | २००                             |

|                   |          |  |     |
|-------------------|----------|--|-----|
| व्यापारीक क्षेत्र | वडा न. २ |  | ३०० |
| व्यापारीक क्षेत्र | वडा न. ३ |  | ३०० |

अनुसूची (५)  
 दफा ३ सँग सम्बन्धित  
भूमिकर (मालपोत) को दर

गाउँपालिकाले लिने मालपोतको दर अनुसूची ४ बमोजिमको जग्गाको मूल्यांकनको आधारमा निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।

भूमिकरको दररेट तालिका :

| क्रस | जग्गाको क्षेत्रफल बर्ग मिटरमा | मूल्य रु | कैफियत |
|------|-------------------------------|----------|--------|
| १    | १ देखी १०० सम्म               | ५        |        |
| २    | १०० देखी ३०० सम्म             | १०       |        |
| ३    | ३०० देखी ५०० सम्म             | १५       |        |
| ४    | ५०० देखी १००० सम्म            | २०       |        |
| ५    | १००० देखी २००० सम्म           | ३०       |        |
| ६    | २००० भन्दा माथी               | ४०       |        |

**अनुसूची (६)**  
**दफा ५ संग सम्बन्धित**

**बहाल करको दर**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा वा पोखरी वा अन्य सम्पत्ति पुरै वा आंशिक तवरले बहाल दिएकोमा निम्न अनुसार बहाल कर असुल उपर गरिनेछ :

१. संगठित संघ संस्था, कम्पनी, कार्यालय तथा व्यवसायलाई बहालमा दिएमा बहाल अंकको १० प्रतिशतका दरले,
२. घरायसी प्रयोजनमा बहालमा दिएमा बहाल अंकको ५ प्रतिशतका दरले ।

**अनुसूची (७)**  
**दफा ५ संग सम्बन्धित**

**घरजग्गा बहाल करको लागि न्यूनतम मूल्यांकन दर**

बहाल कर निर्धारणको लागि बहाल अंकको मूल्यांकन निम्न अनुसार हुनेछ:

| क्र.सं. | क्षेत्र                                   | घरायसी प्रयोजन रु | व्यवसायीक प्रयोजन रु |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| १       | व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका सटर तथा कोठाहरु |                   |                      |
|         | अ. प्रति महिना प्रति सटर ।                | २०००              | ३०००                 |
|         | आ. प्रति महिना प्रति कोठा ।               | १०००              | २०००                 |
| २       | अन्य क्षेत्रमा रहेका सटर तथा कोठाहरु      |                   |                      |
|         | अ. प्रति सटर प्रति महिना ।                | १०००              | २०००                 |
|         | आ. प्रति महिना प्रति कोठा ।               | ५००               | १०००                 |

१. लेखा परीक्षण गराई कर दाखिला गर्ने दायित्व भएका संगठित संस्था, कम्पनी तथा कार्यालयहरुलाई दिएको बहाल रकमको निर्धारण घरधनीले निजहरुसंग गरेको संझौता बमोजिम हुनेछ ।
२. घरधनीले बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक वा वार्षिक रुपमा बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ ।
३. करदाताले उपलब्ध नगरपालिकालाई स्वघोषणा गरी उपलब्ध गराएको विवरणको आधार तथा वा बहाल संझौतामा उल्लेख भए बमोजिम बहाल रकम निर्धारण गरी बहाल कर असुल हुनेछ । तर, नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम मासिक बहाल दर भन्दा कम रकम उल्लेख भएको अवस्थामा गाउँपालिकाले तोकेको न्यूनतम मासिक बहाल दर अनुसार मूल्यांकन गरी बहाल कर असुल गरिने छ ।

अनुसूची (द)

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)  
व्यवसाय करको दर

आ.व. २०८०।८१ कोलागि व्यवसाय करको वार्षिक दर निम्न अनुसार हुनेछः

| सि. नं. | व्यवसायको विवरण                              | करको दर रु. |
|---------|----------------------------------------------|-------------|
| १       | खूद्रा तथा थोक किराना पसल                    |             |
| क       | श्रेणी क                                     | २०००        |
| ख       | श्रेणी ख                                     | १५००        |
| ग       | श्रेणी ग                                     | १०००        |
| घ       | श्रेणी घ                                     | ५००         |
| २       | औषधि पसल एलोपेथिक                            |             |
| क       | औषधि थोक तथा खूद्रा विक्रि गर्ने क श्रेणीलाई | २५००        |
| ख       | औषधि थोक तथा खूद्रा विक्रि गर्ने ख श्रेणीलाई | २०००        |
| ग       | औषधि खुद्रा विक्रि गर्ने                     | १५००        |
| घ       | सर्जिकल सामान बिक्री                         | १०००        |
| ३       | औषधि पसल आर्युवेदिक                          |             |
| क       | औषधि थोक तथा खूद्रा विक्रि गर्ने क श्रेणीलाई | १०००        |
| ख       | औषधि थोक तथा खूद्रा विक्रि गर्ने ख श्रेणीलाई | ५००         |
| ४       | औषधि पसल एग्रोभेट                            |             |
| क       | सप्लायर्स                                    | १५००        |
| ख       | खूद्रा बिक्री                                | १०००        |
| ग       | मेडिकल हल                                    | १०००        |
| ५       | स्वास्थ्य तथा क्लिनिक तर्फ                   |             |
| क       | गैर सरकारी अस्पताल                           | ५०००        |
| ख       | नर्सिङ्ग होम                                 | २०००        |
| ६       | चशमा पसल                                     | १५००        |
| ७       | सिलाई पसल                                    |             |
| क       | श्रेणी क लाई                                 | १०००        |
| ख       | श्रेणी ख लाई                                 | ५००         |
| ८       | सैलुन तथा व्युटि पार्लर                      | १०००        |

| सि. नं. | व्यवसायको विवरण                                           | करको दर रु.     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ९       | ईलेक्ट्रोनिक पसल                                          |                 |
| क       | कम्प्युटर सहित पार्टस विक्रि तथा मर्मत                    | २५००            |
| ख       | टि.भि.रेडियो, घटी, डेक, टेलिफोन, मोवाईल, विक्रि तथा मर्मत | २०००            |
| ग       | अडियो, भिडियो क्यासेट विक्रि तथा मर्मत                    | ७५०             |
| १०      | मादक पदार्थ नयां ईजाजतको लागि                             |                 |
| क       | थोक तथा होलसेल विक्रि (क वर्ग)                            | १०००            |
| ख       | थोक विक्रेता (ख वर्ग)                                     | ७०००            |
| ग       | खूद्रा विक्रेता (ग वर्ग)                                  | ५०००            |
| ११      | मादक पदार्थ नविकरण                                        |                 |
| क       | थोक तथा होलसेल वितरक(क वर्ग)                              | <del>३०००</del> |
| ख       | थोक विक्रेता (ख वर्ग)                                     | <del>२०००</del> |
| ग       | खूद्रा विक्रेता (ग वर्ग)                                  | <del>१५००</del> |
| १२      | कलर ल्याव तथा फोटो स्टुडियो                               |                 |
| क       | डिजिटल कलर ल्याव, फल्यास प्रिन्ट                          | १५००            |
| ख       | कलर ल्याव तथा फोटो स्टुडियो                               | १०००            |
| १३      | भाडा पसल                                                  |                 |
| क       | श्रेणी क लाई                                              | ५०००            |
| ख       | श्रेणी ख लाई                                              | ३०००            |
| १४      | पेट्रोल, डिजल पम्प                                        | ५०००            |
| १५      | ग्यास सिलिण्डर विक्रि                                     | २०००            |
| १६      | गाडि मर्मत                                                |                 |
| क       | जिप तथा साना गाडीहरु मर्मत                                | २२००            |
| ख       | सबै किसिमका ठुलागाडीहरु मर्मत                             | ३०००            |
| ग       | टायर मर्मत तथा हावा हाल्ने                                | ७५०             |
| १७      | मोटरसाईकल मर्मत                                           |                 |
| क       | श्रेणी क लाई (मर्मत तथा पार्टस विक्री)                    | २०००            |
| ख       | श्रेणी ख लाई                                              | १५००            |
| १८      | गाडि तथा मोटरसाईकल सोरुम (सबै किसिमको)                    |                 |
| क       | गाडि सोरुम (सकै किसिमको)                                  | १००००           |

| सि. नं. | व्यवसायको विवरण                         | करको दर रु. |
|---------|-----------------------------------------|-------------|
| रु      | मोटर साईकल सोरुम (सवै किसिमको)          | ३०००        |
| १९      | लेखा परीक्षक                            |             |
| क       | श्रेणी क लाई                            | १०००        |
| रु      | श्रेणी ख लाई                            | ७५००        |
| ग       | श्रेणी ग लाई                            | ५००         |
| घ       | श्रेणी घ लाई                            | ३००         |
| २०      | बैंक तथा विकास संस्थाहरु                |             |
| क       | मुख्य कार्यालय                          | ७०००        |
| रु      | शाखा कार्यालय                           | ५०००        |
| २१      | नेपाल टेलिकम/विद्युत प्राविधिकरण        |             |
| क       | टेलिकम प्रतिपोल                         | २०          |
| रु      | विद्युत प्रतिपोल                        | १०          |
| २२      | फाईनान्स कम्पनी                         |             |
| क       | मुख्य कार्यालय                          | ७५००        |
| रु      | शाखा कार्यालय                           | ३०००        |
| २३      | वित्तिय सहकारी संस्था                   |             |
| क       | मुख्य कार्यालय भएको                     | ७५००        |
| रु      | शाखा कार्यालय भएको                      | ३०००        |
| २४      | पाउरोटी उद्योग                          |             |
| क       | श्रेणी क लाई                            | ३०००        |
| रु      | श्रेणी ख लाई                            | २०००        |
| २५      | निजी शिक्षालय कक्षा थप                  |             |
| क       | क्याम्पस स्नातक तह भन्दा माथि           | ४५००        |
| रु      | मा.वि.                                  | ३०००        |
| ग       | आ.वि.                                   | २५००        |
| २६      | बरफ उद्योग                              | १५००        |
| २७      | मैनवत्ति तथा अगरवत्ति उद्योग            | १२००        |
| २८      | डेरी उद्योग दुग्ध सम्बन्धी अन्य व्यवसाय | १५००        |
| २९      | फर्निचर उद्योग तथा शोरुम                |             |
| क       | श्रेणी क लाई                            | ३५००        |

| सि. नं. | व्यवसायको विवरण                                               | करको दर रु. |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ख       | श्रेणी ख लाई                                                  | २५००        |
| ग       | श्रेणी ग लाई                                                  | १५००        |
| घ       | श्रेणी घ लाई                                                  | १०००        |
| ३०      | ग्रिल सटर उद्योग                                              | २५००        |
| ३१      | मिल कुटानी, पिसानी, पेलानी सहित                               | २०००        |
| ३२      | ईन्जिनियरिङ तथा शैक्षिक परामर्श सेवा                          |             |
| क       | ईन्जिनियर वा सो सरह                                           | २५००        |
| ख       | सब ईन्जिनियर वा सो सरह                                        | २०००        |
| ग       | अ.सब ईन्जिनियर वा सो सरह                                      | १५००        |
| ३३      | ईलेक्ट्रोनक्स सामानहरुको किस्तावन्दी कार्यक्रम                | १५००        |
| ३४      | ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय                                          | १५००        |
| ३५      | कृषि तथा पशुपंछि पालन व्यवसाय (कूखूरा, गाई, भैसी, बूंगूर आदि) | २०००        |
| ३६      | मासू पसल                                                      | २०००        |
| ३७      | फलफुल तथा तरकारी पसल                                          | १२००        |
| ३८      | हार्डवेयर पसल                                                 |             |
| क       | श्रेणी क लाई                                                  | ३५००        |
| ख       | श्रेणी ख लाई                                                  | २५००        |
| ग       | श्रेणी ग लाई                                                  | १५००        |
| ३९      | निर्माण व्यवसायी                                              |             |
| क       | श्रेणी घ लाई                                                  | ३०००        |
| ख       | घ वर्गको ईजाजत पत्र विलम्ब दस्तुर                             | २०००        |
| ४०      | चाउमिन उत्पादन ब्यवसाय                                        | १०००        |
| ४१      | फोटोकपी ब्यवसाय                                               | १०००        |
| ४२      | सूचनादी ब्यवसाय                                               | १०००        |
| ४३      | लेखापढी ब्यवसाय                                               | २०००        |
| ४४      | कानूनी ब्यवसाय                                                | ४०००        |

| सि. नं. | व्यवसायको विवरण                      | करको दर रु. |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| ४५      | बन्दुक नबिकरण                        | ५००         |
| ४६      | होटल व्यवसाय                         |             |
| क       | श्रेणी क लाई                         | ७०००        |
| ख       | श्रेणी ख लाई                         | ५०००        |
| ग       | श्रेणी ग लाई                         | २०००        |
| घ       | श्रेणी घ लाई                         | १५००        |
| ४७      | एफ एम रेडियो                         | ५००         |
| ४८      | फेन्सी पसल                           |             |
| क       | होलसेल                               | ४०००        |
| ख       | खुद्रा                               | २५००        |
| ४९      | कपडा पसल                             |             |
| क       | होलसेल                               | ४०००        |
| ख       | खुद्रा                               | २५००        |
| ५०      | सृङ्गार                              |             |
| क       | होलसेल                               | २०००        |
| ख       | खुद्रा                               | १०००        |
| ५१      | जुत्ता पसल                           |             |
| क       | होलसेल तथा खुद्रा                    | ४०००        |
| ख       | स्थानीय तयारी                        | २०००        |
| ५२      | कृषि फार्म (प्रा.ली.)                |             |
| क       | रु १ करोड सम्म पुजी भएको             | ४०००        |
| ख       | रु १ करोड माथी पुजी भएको             | ६०००        |
| ५३      | बास निगालोबाट बन्ने सामग्रीको उद्योग |             |
| क       | ३ लाख पुजिसम्म                       | १०००        |
| ख       | ३ लाख पुजि भन्दा माथी                | २०००        |

| सि. नं. | व्यवसायको विवरण                              | करको दर रु. |
|---------|----------------------------------------------|-------------|
| ५४      | पुस्तक तथा स्टेशनरी पसल                      |             |
| क       | ३ लाख सम्म पुजि भएका                         | २०००        |
| ख       | ३ लाख देखी ५ लाख सम्म पुजि भएका              | ३०००        |
| ग       | ५ लाख भन्दा पुजि भएका                        | ४०००        |
| ५६      | हस्तलिखित कागज उद्योग                        | २०००        |
| ५७      | सूर्तिजन्य पदार्थ                            |             |
| क       | डिलर                                         | ५०००        |
| ख       | खुद्रा                                       | ३०००        |
| ५८      | गेष्ट हाउस                                   |             |
| क       | क वर्ग                                       | ५०००        |
| ख       | ख वर्ग                                       | ३०००        |
| ५९      | बजारमा सामान ल्याई विक्रि गर्ने              |             |
| क       | जिपमा सामान ल्याई विक्रि गर्ने (प्रति ट्रिप) | २००         |
| ख       | मिनिट्रकमा सामान ल्याई विक्रि गर्ने          | ३००         |
| ग       | ट्रकमा सामान ल्याई विक्रि गर्ने              | ४००         |
| घ       | मान्छेले बोकी विक्रि गर्ने (मासिक)           | २००         |
| ङ       | सहकारी दर्ता                                 | २०००        |
| ६०      | माथि उल्लेखित वाहेकका अन्य व्यवसाय           |             |
| क       | ठूला                                         | ३५००        |
| ख       | मध्यम                                        | २५००        |
| ग       | साना                                         | १५००        |

१. माथि उल्लेखित व्यावसायहरु मा रु ५लाख सम्म पुँजी भएको लाई घ वर्ग , रु १० लाख पुँजी भएको लाई ग वर्ग रु २० पुँजी ख वर्ग र सो भन्दा माथि पुँजी भएकोलाई क वर्ग भनि वर्गिकरण कायम गरिने छ ।

२. विदेशी नागरिकको स्वामित्वमा दर्ता भएको व्यवसायहरूमा माथि उल्लेखित दरमा रु १००० थप गरी व्यवसाय करको दर कायम गरिने छ ।
३. कुनै सेवा उद्गोग तथा व्यावसायमा माथि उल्लेखित वर्गिकरण अनुसार एक भन्दा बढी किसिमको कारोबार भएमा जुन वर्गको व्यासाय कर दर धेरै हुन्छ सोही अनुसार कर संकलन गर्ने ।
४. पहिलो पटक व्यवसाय दर्ता गर्दा सो व्यवसायको कर संगै थप रु १०० दर्ता शुल्क संकलन गरिने छ ।

**अनुसूची (९)**  
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)  
**जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर**

| क्र.सं. | करका क्षेत्र/विवरण                                                                                                            | करको दर रु |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १       | धातु जन्य कवाडी सामानहरु                                                                                                      |            |
| क       | फलाम तथा फामबाट बनेका पुनः प्रयोगमा आउने चिजबस्तुहरु प्रति के.जी                                                              | ३          |
| ख       | अन्य धातु : तामा, पितल, आल्मुनियम आदी प्रती के.जी.                                                                            | ७          |
| २       | गैह्र धातुजन्य कवाडी सामानहरु                                                                                                 |            |
| क       | खाली सिसी, खाली बोरा, पुराना फाटा कपडा , तेलको टिन पुराना कागजात, सिसा, लिडको धुलो, पोलिथिन र प्लाष्टिक जन्य आदि प्रति के.जी. | १.५        |
| ख       | पराल वा परालबाट बनेका पुराना सामान आदि प्रति के.जी                                                                            | १          |
| ३       | अन्य पुनः प्रयोगनहुने कवाडी सामानहरु प्रति के.जी.                                                                             | १          |
| ४       | अन्यको हकमा प्रदेश कानून बमोजिम तथा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम निकासी कर लिईने                                               |            |

**अनुसूची (१०)**

**(दफा ८ सँग सम्बन्धित)**  
**सवारी साधन करको दर**

१. अटोरिक्सा, इरिक्सा ट्याम्पोमा प्रति गोटा वार्षिक रु ३००० सवारी कर लगाई असुल उपर गरिने छ ।
२. वार्षिक सवारी कर भुक्तानी गरेपछि सो सवारी साधन स्वतः नविकरण भएको मानिने छ ।
३. साना सवारीहरुको दर्ता तथा नामासारीको लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाई लागु गर्नेछ ।

**अनुसूची (११)**  
**दफा ९ सँग सम्बन्धित**  
**विज्ञापन करको दर**

गाउँपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानमा राखिएका सबै किसिमका बोर्ड तथा होर्डिङ्ग बोर्ड विज्ञापनमा प्रति वर्ग फुट वार्षिक रु २५ का दरले विज्ञापन कर लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

अनुसूची (१२)  
(दफा १० सँग सम्बन्धित)  
प्राकृतिक स्रोत साधन विक्रीको दर

| सि.न. | विवरण                                            | प्रति घन मिटर<br>विक्री दर रु भ्याट<br>वाहेक |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | सार्वजनिक स्थलबाट विक्री गरिने गिटी ढुंगा बालुवा | 75                                           |
| 2     | निजी जग्गाबाट विक्री गरिने गिटी ढुंगा बालुवा     | 35                                           |
| 3     |                                                  |                                              |

- सार्वजनिक जग्गाबाट उत्खनन गरिने प्राकृतिक स्रोत नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्र तथा परिमाणमा मात्र उत्खनन गर्न पाईने छ ।
- निजी जग्गाबाट **गाउँपालिकाको** स्वीकृत लिई तोकिएको परिमाणमा जग्गा धनिले गिटी ढुंगा बालुवा विक्री गर्न सक्नेछ ।
- नगरपालिकाको इजाजत बिना कसैले पनि प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री वितरण गर्न पाउने छैन ।

अनुसूची (१३)  
(दफा ११ सँग सम्बन्धित)  
बहाल विटोरी शुल्कको दर

गाउँपालिका क्षेत्रमा सर्वाजनिक जग्गा उपयोग गरे बापत निम्न अनुसार बहाल विटोरी शुल्क लगाई असुल गरिनेछः

| सि.न | विवरण                      | एकाई          | शुल्कको दर रु |
|------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1    | घुम्ती पसलहरु मासिक        | प्रति पसल     | 100           |
| 2    | टिनका घर तथा टहराहरु मासिक | प्रति घर टहरा | 200           |

अनुसूची (१४)  
(दफा १२ सँग सम्बन्धित)  
पार्किङ शुल्कको दर

| क्र.सं. | सवारी साधन         | प्रवेश गरेमा | बास बसेकोरु प्रति दिन |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------|
| क       | हेभी इक्विपमेन्ट   | ७७           | १४३                   |
| ख       | बस, ट्रक, लहरी     | ७०           | १४३                   |
| ग       | मिनि बस, मिनि ट्रक | ३८।५०        | ७७                    |

|   |                         |       |    |
|---|-------------------------|-------|----|
| घ | ट्रयाक्टर, जिप, कार आदि | ३८।५० | ७७ |
| ङ | मोटरसाईकल र अटोरिक्सा   | १५    | १५ |

अनुसूची (१५)  
(दफा १३ सँग सम्बन्धित)  
सेवा शुल्कको दर

| क्र.स | उपलब्ध गराईएका सेवा                                       | सेवा शुल्क रु |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| १.    | साहसिक खेलकुद संचालन व्यवसाय (व्यवसाय करमा थप सेवा शुल्क) |               |
| क.    | प्याराग्लाइडिङ                                            | ५०००          |
| ख.    | र्याफ्टिङ                                                 | ५०००          |
| २.    | सरसफाई सेवा शुल्क                                         |               |
| क     | होटल व्यवसाय र तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय (बार्षिक)         | ५००           |
| ख     | घरायसी (बार्षिक)                                          | २००           |
| ग     | अन्य (बार्षिक)                                            | ३००           |
| ३     | जग्गा तथा घरको नाप नक्सा वा सर्वे शुल्क                   |               |
| क     | गाउँपालिका क्षेत्र भित्र                                  | १५००          |
| ४     | पशु उपचार सेवा                                            |               |
| क     | गाई भैसी                                                  | १०            |
| ख     | बाखा, भेडा, बँगुर, खरायो                                  | ५             |
| ग     | कुखुरा, हाँस, अन्य पन्छी                                  | ५             |
| घ     | कुकुर विरालो                                              | २५            |
| ड     | घोडा, हात्ती, बादर र अन्य जन्तु                           | ५०            |
| ५     | पशु सेवा प्रयोगशाला सेवाको लागी                           |               |
| क     | गोबर परिक्षण                                              | १०            |
| ख     | शव परिक्षण (गाई, भैसी, बाखा, भेडा, बँगुर )                | २५            |
| ग     | शव परिक्षण हास र कुखुरा                                   | १०            |
| घ     | शव परिक्षण कुकुर विरालो                                   | १००           |
| ड     | शव परिक्षण घोडा, हत्ती, बादर                              | २००           |
| ६     | माइनर सर्जरी सेवाको लागी                                  | १५            |
| ७     | कृतिम गर्भाधान सेवा (गाई भैसी)                            | २५            |
| ८     | कान्जी हाउस सेवा शुल्क                                    |               |
| क     | बाखा बोका प्रतिदिन                                        | ५०            |
| ख     | गाई गोरु, वाच्छा वाच्छी                                   | १००           |
| ग     | रागा भैसी पाडा पाडी                                       | २००           |

**अनुसूची (१६)**  
**(दफा १४ सँग सम्बन्धित)**  
**दस्तुरको दर**

१. आ.व २०८०।८१ को लागि नक्सापास दस्तुरको दर निम्न अनुसार हुनेछः

| सि.नं. | घरको वनावट                                                 | राजमार्ग सडकको<br>दायां बायां वन्ने घर<br>दर प्रति वर्ग फुट रु | शाखा पिच सडकको<br>दायां बायां वन्ने घर<br>दर प्रति वर्ग फुट रु | अन्य सडकको दायां<br>बायां वन्ने घर दर<br>प्रति वर्ग फुट रु |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| अ.     | आर.सि.सि. ढलान वनावट                                       |                                                                |                                                                |                                                            |
| क      | भुई तल्ला                                                  | ५.००                                                           | ४.५०                                                           | ४.००                                                       |
| ख      | प्रथम तल्ला                                                | ४.५०                                                           | ४.००                                                           | ३.५०                                                       |
| ग      | दोश्रो तथा सोभन्दा माथि                                    | ४.००                                                           | ३.५०                                                           | ३.००                                                       |
| आ.     | ढुङ्गावाट माटोको जोडाई गरी बनेको जस्ता तथा स्लेट छाना भएको |                                                                |                                                                |                                                            |
| क      | भुई तल्ला                                                  | ३.५०                                                           | ३.२५                                                           | ३.००                                                       |
| ख      | प्रथम तल्ला                                                | ३.२५                                                           | २.७५                                                           | २.२५                                                       |
| ग      | दोश्रो तथा सोभन्दा माथि                                    | ३.००                                                           | २.५०                                                           | २.२५                                                       |
| इ.     | कम्पाउण्ड वाल प्रति रनिङ्ग फिट                             | ३.००                                                           | २.५०                                                           | २.२५                                                       |
| ई      | टिनका कटेरा                                                | १.५०                                                           | १.००                                                           | ०.५०                                                       |

नक्शा कितावः प्रतिकिताव १०००।

२. आ.व २०८०/०८१ को लागि गाउँपालिका तथा वडावाट प्रदान गर्ने सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरको दर निम्न अनुसार हुनेछः

| सि.नं. | सिफारिश, प्रमाणित तथा प्रतिलिपि           | दस्तुर रु |
|--------|-------------------------------------------|-----------|
| १      | निवेदन दर्ता दस्तुर                       | १०        |
| २      | नागरिकता सिफारिस/नावालिका प्रमाणित दस्तुर | १००       |
| ३      | नक्सा पास फारम दस्तुर                     | १०००      |
| ४      | व्यवसाय नामसारी सिफारिस                   | १०००      |
| ५      | व्यवसाय लगत हटाउने                        | ५००       |
| ६      | अंग्रेजी सिफारीस                          |           |
| क      | भारत                                      | ३००       |
| ख      | भारत बाहेक सार्क राष्ट्र                  | ५००       |
| ग      | एसिएन मूलुक सार्क बाहेक                   | १०००      |
| घ      | अन्य मुलुक                                | १५००      |
| ७      | व्यक्तिगत घटना प्रमाणित शुल्क             |           |
| क      | जन्म प्रमाणित                             | ३००       |
| ख      | विवाह प्रमाणित                            | ३००       |
| ग      | सम्बन्ध विच्छेद                           | ३००       |
| घ      | बसाई सराई प्रमाणित र बसोवास प्रमाणित      | ५००       |
| ङ      | मृत्यु प्रमाणित र सगोल प्रमाणित           | ३००       |

|     |                                                                  |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|
| च   | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन भित्र मा निशुल्क                     | ०    |
| छ   | हरेक व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रतिलिपि प्रति पेज                  | ५००  |
| ज   | व्यक्तिगत घटना दर्ताको बिलम्ब शुल्क                              | २००  |
| झ   | व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा नागरीक अभिलेख दर्ता किताब हरेको दस्तुर  | २००  |
| द   | नक्सा नामसारी                                                    |      |
| क   | बूवाबाट छोराछोरी र परिवारका सदस्यमा                              | २००  |
| ख   | अन्यबाट                                                          | ५००  |
| ९   | सामान्य सिफारिस दस्तुर                                           | १००  |
| १०  | उद्योग तथा ब्यबसाय ठाउसारी तथा नामसारी सिफारिस                   | ५००  |
| ११  | जग्गा नामसारी सिफारिस                                            | २००  |
| १२  | स्थलगत सिफारिस (सर्जिमन मूचुल्का)                                |      |
| क   | घरायसी प्रयोजन                                                   | १००  |
| ख   | औद्योगिक प्रयोजन ठुलो                                            | २००  |
| ग   | औद्योगिक प्रयोजन सानो                                            | १५०  |
| १३  | नाम, थर शसोधन सिफारिस                                            | १००  |
| १४  | व्यक्ति प्रमाणित सिफारिस                                         | १००  |
| १५  | काठ, दाउरा निकासी सिफारिस                                        |      |
| क   | चिमनी प्रयोजनको लागि प्रति टेक्टर                                | ५००  |
| ख   | चिमनी प्रयोजनको लागि प्रति ट्रक                                  | १००० |
| ग   | अन्य                                                             | २००  |
| १६  | चौपाया निकासी सिफारिस (व्यापारी प्रयोजनको लागि)                  |      |
| क   | गाई गोरु निकासी जिल्ला भित्र प्रति गोटा                          | ५०   |
| ख   | गाई, गोरु निकासी जिल्ला बाहिर प्रति गोटा                         | ५०   |
| ग   | रांगा, भैसी निकासी जिल्ला भित्र प्रति गोटा                       | ५०   |
| घ   | रांगा, भैसी निकासी जिल्ला बाहिर प्रति गोटा                       | १००  |
| ड   | गाई, भैसीको वाछ्रा, वाछ्री निकासी जिल्ला भित्र प्रति गोटा        | १००  |
| च   | गाई, भैसीको वाछ्रा, वाछ्री निकासी जिल्ला बाहिर प्रति गोटा        | २५   |
| छ   | खसी, वोका, बाखा आदि निकासी जिल्ला भित्र प्रति गोटा               | ५०   |
| ज   | खसी, वोका, बाखा आदि निकासी जिल्ला बाहिर प्रति गोटा               | २०   |
| झ   | हांस, कूखुरा आदि निकासी जिल्ला भित्र वा बाहिर प्रति गोटा         | २०   |
| झ.१ | पालन प्रयोजनको लागि चल्ला                                        | १.०० |
| झ.२ | मासू प्रयोजनको लागि                                              | २.०० |
| १७  | नाता प्रमाणित सर्जिमन मूचुल्का दस्तुर                            | १००  |
| १८  | नाता प्रमाणित दस्तुर                                             | १००  |
| १९  | व्यक्ति प्रमाणित सर्जिमन                                         | १००  |
| २०  | औद्योगिक प्रयोजनको लागि घरेलु कार्यालयलाई सर्जिमन सिफरिश दस्तुर  |      |
| क   | ठुलो                                                             | ५००  |
| ख   | सानो                                                             | ३००  |
| २१  | व्यवसायीक प्रयोजनको लागि घरेलु कार्यालयलाई सर्जिमन सिफरिश दस्तुर |      |
| क   | ठुलो                                                             | ३००  |
| ख   | सानो                                                             | २००  |

|     |                                                      |       |
|-----|------------------------------------------------------|-------|
| २२  | अन्य सर्जमिन दस्तुर                                  | २००   |
| २३  | चार किल्ला प्रमाणित (जग्गाको क्षेत्रफल प्रति कित्ता) |       |
| क   | मुख्य सडक                                            | २००   |
| ख   | शाखा सडक                                             | १००   |
| ग   | ग्राभेल                                              | १००   |
| घ   | कच्ची                                                | १००   |
| ङ   | वाटो नभएको                                           | १००   |
| २५  | वाटो प्रमाणित सिफारिस (स्थलगत) प्रति कित्ता          |       |
| क   | राजमार्ग                                             | २००   |
| ख   | शाखा पिच                                             | १००   |
| ग   | ग्राभेल                                              | १००   |
| घ   | कच्ची                                                | १००   |
| ङ   | वाटो नभएको                                           | १००   |
| २५  | सम्पत्ति तथा आयश्रोत मुल्यांकन                       |       |
| क   | रु. १ देखि १० लाख सम्म                               | १०००  |
| ख   | रु.१० लाख देखि २५ लाख सम्म                           | २०००  |
| ग   | रु. २५ लाख देखि ५० सम्म                              | ३०००  |
| घ   | रु.५० लाख देखि ७५ सम्म                               | ५०००  |
| ङ   | रु. ७५ लाख माथी                                      | ७०००  |
| २६  | आवादी जग्गाको रुख कटानी सिफारिस                      |       |
| क   | प्रति रुख                                            | २००   |
| २७  | संस्था तथा व्यवसाय दर्ता तथा संस्था नविकरण सिफारिश   | २०००  |
| २८  | तमसुक प्रमाणित न.पा. को रोहरवरमा                     | ५००   |
| २९  | निर्माण व्यवसायको प्रतिलिपी                          | ५००   |
| ३०  | निर्माण व्यवसायीको नामसारी सिफारिश                   | १०००० |
| क   | नातामा प्रमाणित एकाघर भित्र नामसारी                  | ३०००  |
| ३१  | निर्माण व्यवसायीको खारेजी सिफारिश                    | १०००  |
| ३१क | निर्माण व्यवसायीको ठाउसारी                           | ५०००  |
| ३२  | नयाँ इजाजत पत्र निर्माण व्यवसायीको घ वर्गको लागी     | ३५००० |
| ३३  | अचल सम्पत्ति मुल्यांकन शुल्क                         |       |
| क   | राजमार्ग सडकको दायां बायां वर्ग फुट                  | ०.०८  |
| ख   | शाखा पिच सडकको दायां बायां प्रति वर्ग फुट            | ०.०६  |
| ग   | अन्य सडकको दायां बायां प्रति वर्ग फुट                | ०.०४  |
| ३४  | विद्यालय शिक्षकको म्याद थप सिफारिश                   |       |
| क   | आधारभूत (१-५)                                        | २००   |
| ख   | आधारभूत (६-८)                                        | ३००   |
| ग   | माध्यमिक (९-१०)                                      | ५००   |
| घ   | माध्यमिक (११-१२)                                     | ६००   |
| ३५  | लवध्याङ्ग उपलब्ध गराउने र सच्याउने                   | १००   |
| ३६  | नदीमा माछा मार्ने इजाजत (१ बर्षको लागि)              | २०००  |
| ३७  | माथि उल्लेखित बाहेकका अन्य साधारण सिफारिस            | २००   |



**अनुसूची (१७)**  
**(दफा १५ सँग सम्बन्धित)**  
**सम्पत्ति बहालको दर**

गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन तथा मेसिनरी औजारको न्यूनतम बहाल निम्न अनुसार हुनेछः

| क्र.सं. | सम्पत्ति तथा भाडाको विवरण                                          | भाडा रु |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| १.      | जेसिवी तथा टिप्पर (गा.पा.बाट संचालित सवारी साधन)                   |         |
| क       | गा.पा क्षेत्र भित्र जे.सि.पी. दिदा प्रति घण्टा                     | १६००    |
| ख       | गा.पा. क्षेत्र भन्दा बाहिर जे.सि.पी. दिदा प्रति घण्टा              | १७००    |
| ग       | टिप्पर भाडामा दिदा प्रति घण्टा                                     | १०००    |
| घ       | प्रति दिन टिप्पर भाडा                                              |         |
| २.      | दमकल भाडा, लिटरको                                                  | ४०००    |
| ३.      | टयाक्टरको भाडा                                                     |         |
| क       | १ कि.मि. देखि ३ कि.मि. सम्म                                        | १०००    |
| ख       | १ कि.मि. देखि ५ कि.मि. सम्म                                        | १५००    |
| ग       | १ कि.मि. देखि १२ कि.मि.सम्म                                        | ३०००    |
| घ       | १२ कि.मि. भन्दा माथि थप प्रति कि.मि.                               | १७५     |
| ४.      | सक्शन टैंक                                                         |         |
| क       | पहिलो दुई ट्रीप                                                    | ३५००    |
| ख       | दुई ट्रीप भन्दा माथि प्रति ट्रीप                                   | ३०००    |
| ग       | सहयोगी शुल्क प्रति ट्रीप                                           | ५००     |
| ५.      | नगर बस भाडा प्रति (इन्धन बाहेक) रिजर्व                             | ८०००    |
| ६.      | एम्बुलेन्स (तल उल्लेखित नभएको स्थानको गत आ.व को दररेटमा भाडा लिने) | ४०००    |
| ७.      | टेन्ट सेट प्रति गोटा प्रति दिन                                     | १०००    |
| ८.      | प्लास्टिकको कुर्चि प्रति गोटा प्रति दिन                            | १५      |
| ९.      | डीजे माईक सानो प्रति दिन भाडा                                      | ५००     |
| १०.     | टी एस मेसिन प्रति दिन भाडा रु                                      | ५००     |
| ११.     | मानव संसाधन विकास भवन सेती बैठक हलको हल भाडा                       |         |
| क       | प्रति दिन हल भाडा (सेती सभाहल)                                     | २५००    |
| ख       | सानो हल                                                            | १०००    |
| ग       | माईक सेट वाफत प्रति दिन                                            | ५००     |
| घ       | प्रेजेक्टर, ओ.एच.पि. साउन्ड बक्स वापत प्रति दिन                    | ५००     |
| १२.     | अतिथि गृह (प्रति कोठा प्रति दिन)                                   |         |

- जे.सि.वि. र टिप्पर प्रति दिन भन्नाले ८ घण्टाको समयलाई बुझाउने छ ।
- जे.सि.वि. र टिप्पर भाडामा लैजान पक्षले इन्धन तथा ग्रासको खर्च ब्यहोर्नु पर्नेछ, प्रस्तान बिन्दू न.पा. कार्यालयलाई मानी समय निर्धारण गरिने छ र आउंदाजांदा दूवै तर्फको समय गणना गरिने छ ।

३. सक्शन टैंक न.पा. क्षेत्र बाहिर लैंजादा भाडाको अतिरिक्त तेल खर्च पनि सम्बन्धित पक्षले वेहोर्नु पर्नेछ ।
४. दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका कर्मचारी र निजहरुका परिवारकालागि एम्बुलेन्स सेवा शुल्कको लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत छुट दिईने छ ।

**अनुसूची (१८)**  
(दफा १६ सँग सम्बन्धित)  
**दण्ड जरिवाना**

| क्र.सं | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जरिवानाको रकम वा प्रतिशत                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| १.     | गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका कर, शुल्क, भाडा तथा वहाल रकम सोही आर्थिक वर्ष भित्र नबुझाएमा त्यसपछि वार्षिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५ प्रतिशत                                                                  |
| २.     | निर्माण सामग्रीहरु बिना अनुमति तथा कुनै पनि प्रयोजनको लागि सडक वा पेटीमा आवागमन गर्न अवरोध श्रृजना गरेमा उक्त सामग्रीहरु लाई उठाई आम्दानी वाधी दण्ड जरिवाना गर्ने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सामग्रीको मात्रा अनुसार रु १००० देखि रु १००००० सम्म                        |
| ३.     | नक्सापास नगरी घर बनाएमा प्रति वर्गमिटर जरिवाना थप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रु ५                                                                       |
| ४.     | कर सम्बन्धी भुटो विवरण दाखिला गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कर रकमको १० प्रतिशत                                                        |
| ५.     | प्राकृतिजन्य सामानहरु जस्तै गिटी, बालुवा, ढुंगा, माटो आदि सामानको लागि अनुमति बेगर उत्खनन् गरेको पाइएमा ।<br>क. मेशिनरि औजार तथा जेसिभि सार्वजनिक जग्गामा प्रयोग गरेको<br>ख. मेशिनरि औजार तथा जेसिभि व्यक्तिगत जग्गामा प्रयोग गरेको<br>ग. मिनि ट्रक, ट्र्याक्टरको लागि पहिलो पटकको लागि<br>घ. ट्रकको लागि पहिलो पटक<br>ङ ट्रिप्परको लागि पहिलो पटक<br>च. दोस्रो पटक देखिएमा प्रथम पटकको जरिवानाको दोब्बर लाग्नेछ<br>तेस्रो पटकलाई दोब्बर जरिवाना सहित सामान जफत सहित | रु ५ हजार<br>रु ४ हजार<br>रु २ हजार<br>रु ३ हजार<br>रु ४ हजार<br>रु ५ हजार |

कार्यालयको हकमा दाखिला गर्न बाकी को कारण खुलाउनु पर्नेछ प्रयाप्त कारण नभए अनुसूची १८ को दफा १६को १ नम्बर बमोनिम जरिवाना लाग्ने छ ।

अनुसूची (१९)  
(दफा १७ सँग सम्बन्धित)  
कर तथा शुल्कको छुट तथा सहूलियत

| क्र.सं | विवरण                                                                     | छुट दिइने क्षेत्र                                      | छुटको प्रतिशत                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| १      | चालु आर्थिक वर्षको कर तथा शुल्क असोज मसान्त सम्ममा दाखिला गरेमा           | सबै प्रकारका वार्षिक कर, शुल्क तथा भाडा (भुमिकर बाहेक) | ५ प्रतिशत                                                         |
| २      | टेण्डर प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउदा पुरा रकम सम्पूर्ण अग्रिम भुक्तानी गरेमा | सम्झौता रकमको                                          | ५ प्रतिशत                                                         |
| ३      | कोभिड १९ को महाव्याधिको कारणले भएको बन्दाबन्दीको कर छुट तथा सहूलियत       | वहाल कर र व्यवसाय कर                                   | आ.ब. २०७८।७९ को कर रकम श्रावण भित्र बुझाएमा १० प्रतिशत छुट दिने । |
| ४      | महिलाको स्वामित्वमा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा                                 | व्यवसाय दर्ता गर्दा                                    | ५० प्रतिशत                                                        |
| ५      | फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका तथा दलित वर्गका व्यक्तिले व्यवसाय संचालन गरेमा | व्यवसाय दर्ता गर्दा                                    | ५० प्रतिशत                                                        |
| ६      | सामाजिक सुरक्षा, दैवी प्रकोप पिडीत तथा विपन्नता सिफारिस र आर्थिक सहायता   |                                                        | निशुल्क                                                           |
|        |                                                                           |                                                        |                                                                   |